

UPLL120000872020



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महरौनी, जिला ललितपुर।

मूल वाद सं० 72 / 2020

श्रीमती लक्ष्मीबाई बनाम बलची।

05. 08. 2020

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग 2 अतंगत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा 151 जा०दी० पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र वादिनी द्वारा दौरान मुकदमा विवादित भूमिखण्ड आराजी सं० 920 ख रकबा 0. 00150, 921 रकबा 0. 106 है०, कुल 2 किता रकबा 0. 121 है०, स्थित ग्राम रनगांव, परगना व तहसील मड़ावरा, जिला ललितपुर के बावत दौरान मुकदमा स्थाई निषेधज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी की ओर से इस स्तर पर एक किता कागज सूची सं. 11 सी1 के माध्यम से प्रमाणित उद्घरण खतौनी 12 सी1, एक किता इन्तखाब खसरा 13 सी1 एवं एक किता नक्शा नजरी 14c1 प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे वादिनी प्रश्रगत भूमि 920 ख रकबा 0. 00150, 921 रकबा 0. 106 है०, कुल 2 किता रकबा 0. 121 है०, पर प्रथम दृष्टया मालिक काबिज होना प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह उचित प्रतीत होता है कि विवादित सम्पत्ति को संरक्षित करने एवं वादिनी के वाद लाने के उद्देश्य को विफल होने से निवारित करने के लिए अंतरिम रूप से प्रतिवादीगण को विवादित स्थल पर कोई हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

### आदेश

प्रतिवादीगण को आगामी नियत तिथि तक के लिये अंतरिम रूप से निषेधित किया जाता है कि वे विवादित आराजी सं० 920 ख रकबा 0. 00150, 921 रकबा 0. 106 है०, कुल 2 किता रकबा 0. 121 है०, स्थित ग्राम रनगांव, परगना व तहसील मड़ावरा, जिला ललितपुर पर वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। वादिनी वादपत्र की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ नियमानुसार आदेश 39 नियम 3 की पैरवी अविलम्ब करें एवं तदनुसार शपथपत्र दाखिल करें। पत्रावली वास्तें आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 सी2 दिनांक 19. 08. 2020 को पेश हों।

( अनुभव कटियार)

सिविल जज (जू०डि०) महरौनी, ललितपुर।

J. O. Code UP2303